19/2/2022

The Times of India

SDMC launches portal for vendors left out of survey

New Delhi: South Delhi Municipal Corporation, the nodal agency for surveying street vendors, has launched an online portal for identification of those yet to be covered by the exercise.

While the municipal corporations had completed two surveys, NGOs claimed that not all vendors had been covered. The portal will help in covering them across the three corporations, SDMC stated. The vendors will have to log into mcdonline.nic.in/stvendor and register their name and mobile number and submit their details.

"The empanelled agencies will conduct a survey and submit a report to the town vending committees, which will recommend to issue vending certificates on the fulfilment of all eligibility conditions," said an official. TNN

19/2/2022

Millennium Post

SDMC LAUNCHES ONLINE PORTAL TO IDENTIFY STREET VENDORS

NEW DELHI: The South Delhi Municipal Corporation on Friday launched an online portal to identify street vendors, as part of a process to issue certificates to the vendors who fulfill eligibility conditions. The portal will provide an opportunity to street vendors, who are yet to be surveyed and identified by applying online on MCD website. Street Vendors will have to register for the survey on the civic body's website, while the empaneled agencies will conduct the surveys based on the applications and submit to the respective town vending committees (TVC). TVC will recommend to issue vending certificates on the fulfillment of all the eligibility conditions as per the rules. After recommendations of TVC, the assistant commissioner of the respective zones will issue a vending certificate. Applicants will be able to view their status of survey on the website after entering his registration number.

19/2/2022

Top Story

SDMC starts online portal for identification for street vendors

Staff Reporter
New Delhi

The SDMC has started an online portal for identification and survey of the left out street venders.

The SDMC is nodal agency for all three corporations- the SDMC, the North DMC and the EDMC, for identification and survey of left out street vendors through the said portal.

This portal would provide an opportunity to the street vendors who are left out to get them surveyed and identification by applying online on MCD's website https://mcdonline.nic.in/stvendor.

The street vendors can apply through the portal without any physical survey and thereafter, they will be included in the survey of Town Vending Committee (TVC), said an SDMC release issued on Friday.

19/2/2022

नवभारत टाइम्स

वेंडर्स रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल

■ **प्रस, नई दिल्ली:** साउथ एमसीडी ने सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के साथ साथ काम का शुभारंभ भी कर दिया है। दक्षिणी निगम तीनों निगमों की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा, जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गए थे।

अब वे इस पोर्टल की सहायता से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए दक्षिणी निगम की वेबसाइट https://mcdonline.nic.in/stvendor पर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा। यह सब करने के बाद वेंडर को डैश बोर्ड में से स्ट्रीट वेंडर की साइट को चुनना होगा, उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यह जानकारी संबंधित जोन के असिस्टेंट कमिश्नर और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जाएगी।

हिन्दुस्तान

स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू

नई दिल्ली(प्र.सं.)। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। दक्षिण निगम तीनों निगमों की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे के लिए नोडल एजेंसी है। अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों को दक्षिण निगम की वेबसाइट पर लॉग इन कराना होगा। आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा।

19/2/2022

दैनिक जागरण

पोर्टल से होगा छूटे हुए रेहड़ी पटरी वालों का पंजीकरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिए आनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है। यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गए थे।

स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट पर जाकर करना होगा लाग इन

निगम के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट http://mcdonline.nic.in/stvendor पर लाग इन करना होगा। लाग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। जिसके बाद ओटीपी के जरिये अपना सत्यापन करना होगा।

जहां पर यह जानकारी संबंधित जोन के सहायक आयुक्त और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जाएगी।

निगम जो भी आनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे उसे टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद कमेटी टीवीसी की रिपोर्ट पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सर्वे और प्रमाण की स्थिति का पता आवेदन कर्ता आनलाइन देख सकेगा।

पंजाब केसरी

स्ट्रीट वेंडर पोर्टल की मदद से करा सकेंगे पंजीकरण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे मे छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। दक्षिणी निगम तीनो निगमो की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गये थे, अब वे इस पोर्टल की सहायता से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके उपरांत एक ओटीपी आएगा, जिसके उपरांत डेस बोर्ड मे से स्ट्रीट वेंडर की साइट को चुनना होगा। उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिए पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। यह जानकारी संबंधित जोन के सहायक आयुक्त और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जायेगी और और संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे रिपोर्ट भेजेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी पात्रता की सभी शर्तों के पूरा होने पर नियमो के आधार पर वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की संस्तुति करेगी।

19/2/2022

अमर उजाला

स्ट्रीट वेंडर अब ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। स्ट्रीट वेंडर अब खुद ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे करने के लिए नियुक्त नोडल एजेंसी दक्षिणी निगम ने पोर्टल विकसित किया है, जिसका शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। स्ट्रीट वेंडरों को पंजीकरण के लिए दक्षिणी निगम की वेबसाइट http://mcdonline.nic.in/stvendor पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके उपरांत एक ओटीपी आयेगा। फिर डेस बोर्ड में से स्ट्रीट वेंडर की साइट को चुनना होगा। उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिये पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। यह जानकारी संबंधित जोन के सहायक आयुक्त और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जायेगी और जानकारी प्राप्त होने के बाद सूचीबद्ध एजेंसी सर्वे कराएगी और संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे रिपोर्ट भेजेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी पात्रता की सभी शर्तों के पूरा होने पर नियमों के आधार पर वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की संस्तुति करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी की संस्तुति के पश्चात क्षेत्रीय सहायक आयुक्त वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करेंगे। सभी आवेदनकर्ता पोर्टल पर अपनी पंजीकरण संख्या दाखिल करके अपने सर्वे की स्थिति देख सकेंगे।

राष्ट्रीय सहारा

स्ट्रीट वेंडर के पंजीकरण के लिए पोर्टल

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल का शुक्रवार को शुभारंभ किया। स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट http://mcdonline.nic.in/stvendor पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके उपरांत एक ओटीपी आएगा। इसके बाद डेस बोर्ड में से स्ट्रीट वेंडेंर की साइट को चुनना होगा, उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिये पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

19/2/2022

देशबन्दु

दक्षिणी दिल्ली ने स्ट्रीट वेंडर की पहचान के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया विकसित

नई दिल्ली,18 फरवरी (देशबन्धु)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया। दक्षिणी निगम तीनों निगमों की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे करने के लिए नोडल एजेंसी है।

यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गए थे, अब वे इस पोर्टल की सहायता से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण हेतु स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके उपरांत एक ओटीपी आएगा। जिसके उपरांत, डेस बोर्ड में से स्ट्रीट वेंडेंर की साइट को चुनना होगा, उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिये पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।

यह जानकारी संबंधित जोन के सहायक आयुक्त और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जाएगी और जानकारी प्राप्त होने के बाद सूचीबद्ध एजेंसी सर्वे करायेगी और संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे रिपोर्ट भेजेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी पात्रता की सभी शर्तों के पूरा होने पर नियमों के आधार पर वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की संस्तुति करेगी।

19/2/2022

हरिभूमि

सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर पोर्टल की मदद से करा सकेंगे पंजीकरण

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। दक्षिणी निगम तीनों निगमों की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गये थे, अब वे इस पोर्टल की सहायता से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, उपरांत एक ओटीपी आएगा।

19/2/2022

वीर अर्जुन

द. निगम ने स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर आज इसका शुभारंभ किया। दक्षिणी निगम तीनों निगमों की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गये थे,अब वे इस पोर्टल की सहायता से अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण हेतु स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके उपरांत एक ओटीपी आयेगा। जिसके उपरांत, डेस बोर्ड में से स्ट्रीट वेंडेर की साइट को चुनना होगा, उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिये पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। यह जानकारी संबंधित जोन के सहायक आयुक्त

★ टाउन वेंडिंग कमेटी पात्रता की सभी शर्तों के पूरा होने पर नियमों के आधार पर वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की संस्तुति करेगी

और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जायेगी और जानकारी प्राप्त होने के बाद सूचीबद्ध एजेंसी सर्वे करायेगी और संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे रिपोर्ट भेजेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी पात्रता की सभी शर्तों के पूरा होने पर नियमों के आधार पर वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की संस्तुति करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् क्षेत्रीय सहायक आयुक्त वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करेंगे। सभी आवेदनकर्ता पोर्टल पर अपनी पंजीकरण संख्या दाखिल करके अपने सर्वे की स्थिति देख सकेंगे। इससे डिजिटल भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।

शाह टाइम्स

दक्षिणी निगम ने ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वे में छूटे हुए स्ट्रीट वेंडर की पहचान एवं पंजीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर आज इसका शुभारंभ किया। दक्षिणी निगम तीनों निगमों की तरफ से स्ट्रीट वेंडर सर्वे करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह पोर्टल उन स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देगा जो सर्वेक्षण के दौरान किसी कारण छूट गये थे, अब वे इस पोर्टल की सहायता से अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण हेतु स्ट्रीट वेंडर को दक्षिणी निगम की वेबसाइट http@mcdonline.nic.in@stvendor पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके उपरांत एक ओटीपी आयेगा। जिसके उपरांत, डेस बोर्ड में से स्ट्रीट वेंडेर की साइट को चुनना होगा, उस पर क्लिक करते ही आवेदक के लिये पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। यह जानकारी संबंधित जोन के सहायक आयुक्त और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जायेगी और जानकारी प्राप्त होने के बाद सूचीबद्ध एजेंसी सर्वे करायेगी और संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे रिपोर्ट भेजेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी पात्रता की सभी शर्तों के पूरा होने पर नियमों के आधार पर वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की संस्तुति करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् क्षेत्रीय सहायक आयुक्त वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करेंगे। सभी आवेदनकर्ता पोर्टल पर अपनी पंजीकरण संख्या दाखिल करके अपने सर्वे की स्थिति देख सकेंगे। इससे डिजिटल भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।